भारत सरकार

शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय

भूमि एवं विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकित 19-06-02

एफ. सं. 24(464)/2012-सीडीएन

परिपत्र

विषयः भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 276 के तहत अदालत द्वारा दिए गए प्रशासन के पत्र के आधार पर प्रतिस्थापन।

कार्यालय आदेश संख्या 3/89 दिनांक 15.2.89 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार जहां लाभार्थी और निष्पादक/प्रशासक एक ही और समान व्यक्ति है संपत्ति वसीयत के अनुसार लाभार्थी के पक्ष में तुरन्त उत्परिवर्तित की जानी चाहिए।

2. तथापि, यह देखा गया है कि उक्त कार्यालय आदेश संख्या 3/89 के प्रावधान का सख्ती से अनुसरण नहीं किया जा रहा है और यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जिनका उल्लेख ऊपर पैरा 1 में किया गया है, केवल प्रशासक की हैसियत से ही वसीयत के तहत लाभार्थी के पक्ष में प्रतिस्थापन/उत्परिवर्तन किया जा रहा है और रूपांतरण की अनुमति देने से पहले प्रतिस्थापन/उत्परिवर्तन पत्र के लिए शुद्धिपत्र जारी करने से पूर्व इसके निष्पादन पर जोर दिया जा रहा है। इस मामले पर विचार किया गया है और इस बात को दोहराना करने का फैसला किया गया है कि आगे से कार्यालय आदेश संख्या 3/89, दिनांक 15.2.1989 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

19.6.02

(मनोज एबुसरीया)

हिंदी अधिकारी

सभी शाखा अधिकारी/अनुभाग